सत्यब्रत साहु, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता
मंत्रालय

डी.ओ.सं. एच-5972/एलएस/2015-डब्ल्यूक्यू
दिनांक: 12 मार्च, 2015

प्रिय महोदया/महोदय

मंत्रालय को जल शुद्धिकरण संयंत्रों के संबंध में लोक सभा में दिनांक 19.3.2015 को देय उत्तर से संबंधित लोक सभा का अतारांकित प्रश्न डायरी संख्या 5972 प्राप्त हुआ है। प्रश्न नीचे दिया गया है:

जल शुद्धिकरण संयंत्र

प्रश्न डायरी संख्या 5972: श्रीमती मीनाक्षी लेखी

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहित देश में जल शुद्धिकरण संयंत्रों का कार्य-निष्पादन क्षमता से कम है और ये बुरी हालत में हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि दिल्ली सहित देश में जल शुद्धिकरण संयंत्रों का सही तरीके से रख-रखाव किया जाए और इनका परिचालन बारंबार खराब अथवा नुकासन हुए बिना किया जाए?

2. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि दिनांक **13 मार्च, 2015** के शाम तक उपयुक्त प्रश्न पर सूचना अवश्य उपलब्ध कराएँ।

मामला **अत्यंत तत्कालिक** समझा जाए।

सादर,

भवदीय

(सत्यब्रत साहु)

प्रधान सचिव/सचिव-ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)